श्री मधु लिमये : यह पत्र उपसचिव की मार्फत आठ अप्रैल को मेरे पास पहुंचा था । उस में मुझ को बताया गया था कि इन कटौती प्रस्तावों को इसलिए अस्वीकार किया जाता है कि वैसी एक पुरानी परिपाटी चली आई है । मुझ को यह नहीं बताया गया कि क्या मैं नीति सम्बन्धी दे सकता हूं या जिसको आपने कहा है कि 'टोकन या घटाने वाली', इसके बारे में मुझ को कोई इत्तिला नहीं दी गयी है । 208 के अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है कि किसी भी मांग पर मैं कटौती प्रस्ताव दे सकता हूं । तीन में से कोई भी कटौती प्रस्ताव मैं दे सकता हूं । नीति के अतिरिक्त यह जो टोकन आदि हैं, उनका अधिकार किसी एक शिकायत को पेश करने के लिए या जो ज्यादा खर्चा होता है, उसको कम करने के लिए मुझे प्राप्त है । तीन में से किसी भी बात को ले कर मैं कटौती प्रस्ताव दे सकता हूं । लेकिन मुझे बताया गया है कि आप का प्रस्ताव इसलिए स्वीकारा नहीं जाता है क्योंकि वैसी परिपाटी नहीं है और इसीलिए उसको परिचालित नहीं किया गया है ।

यह जो मतदान हुआ है यह संविधान के बरखिलाफ हुआ है, नियमों के बरखिलाफ हुआ है । यह नियम इस सदन के द्वारा बनाये गये हैं और उनके ही बरखिलाफ यह हुआ है । इसलिए यह गैरकानूनी है और इस मतदान के आधार पर जो अभी विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा, उस पर भी एक आध मिनट में मैं अपना एतराज प्रकट करके खत्म कर दूंगा ।

श्री किशन पटनायक : मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब रहने दीजिये ।

श्री किशन पटनायक : आप ने जो कहा उस के सम्बन्ध में 209 देख लीजिये । इस में है "कम करने के लिये" । "कम करने" का मतलब होता है घटाना ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कह दिया है कि आप कम करने या घटाने की बात नहीं कह रहे हैं । जो चिट्ठी लिखी है, उस को देखिये ।

Ruling of the Speaker dated the 4th April, 1964. Cut motions on the Demands for Grants relating to the Parliament and the Secretariats of Parliament are not admitted for discussion in the House and hence they are not circulated.

आप को बतलाना मेरा फर्ज नहीं कि आप इस को घटाने का मोशन दें, यह तो आप का फर्ज है कि आप घटाने का मोशन दें ।

17.11 hrs.

APPROPRIATION (NO. 2) BILL,* 1965

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1965-66.

Mr. Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1965-66."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मुझे ऐतराज है ।

अध्यक्ष महोदय : "लीव बी ग्रान्टेड" पर आप को ऐतराज है क्या ।

श्री मधु लिमये : जी हां, इसी पर । इस विधेयक के अन्त में वित्त मंत्री ने जो पत्र सचिव को लिखा है उस में कहा गया है— यह 29 अप्रैल का पत्र है—उस में कहा गया

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, date

है कि "विनियोग विधेयक के लिये जो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है वह आ गई है।" ऐतराज करते समय मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं कि जब 29 तारीख का पत्र है तो राष्ट्रपति जी की सिफारिश किस तारीख को मंत्री महोदय को प्राप्त हुई। 24 अप्रैल और 28 अप्रैल को मैंने राष्ट्रपति जी को दो चिट्ठियां लिखी थीं, जिन में मैंने उन से यह दर्ख्वास्त की थी कि चूंकि इस के बारे में गलत कार्रवाई की जा रही है, इस लिये संविधान की धारा 117 के अन्तर्गत जो सिफारिश देनी होती है वह आप कृपया न दें। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को यह सिफारिश प्राप्त हुई। और इस पर मेरा जो ऐतराज है उसे लिया जाये।

Shri T. T. Krishnamachari: Sir, I have got it in the Bill here the copy of the letter dated the 29th April from the Minister of Finance to the Secretary, Lok Sabha, which says:

"The President having been informed of the subject matter has given his consent. . . .".

श्री मधु लिमये : किस तारीख को सिफारिश की गई है।

Mr. Speaker: The information that he has got he has given.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1965-66."

The motion was adopted.

Shri T. T. Krishnamachari: Sir, I introduce† the Bill.

Mr. Speaker: Now the House shall take up consideration of the Bill

Shri T. T. Krishnamachari: Sir, I beg to move†:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidatad Fund of India for the services of the financial year 1965-66, be taken into consideration."

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1965-66, be taken into consideration."

Shri Ranga (Chittoor): Sir, we are not at all in favour of this Bill. We are not in favour of sanctioning all this money to the Government so that they would be able to draw it from the Consolidated Fund and use it in the manner in which they have been doing. We strongly feel that the Government has not been using these funds as carefully as they should and that could be seen from the Reports of the PAC as well as the Estimates Committee.

Mr. Speaker: There is one thing that I might say. At this moment there might be said things that might be permissible, but now that the House has passed all those Demands, nothing can be said that might go against that decision of the House.

Shri Ranga: I am not saying anything against it

Mr. Speaker: It is only to draw the money that has been sanctioned under the different Heads of Demands.

Shri Ranga: Quite true. I do not want it to be said later on, as has been said several times, that the money has been sanctioned and as per the sanction money has been drawn by the Government and therefore, no other

†Introduced/moved with the recommendation of the President.

[Shri Ranga]

criticism could be made It is only as a safeguard against that that I am raising my voice now to say that we do not have that minimum of confidence that we should have in this Government to be able to say "Yes" to this proposition. So, we say, to the extent that we can warn the country, that we do not feel that this Government can be trusted to make use of these funds properly, satisfactorily and economically. Beyond that I need not have to say anything more.

Mr. Speaker: Shri Kishen Pattnayak.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): On a point of order, Sir. The tradition of this House has been that no discussion is held on the Appropriation Bill. Why have you been allowing this?

Mr. Speaker: There is some scope. But that is a different thing altogether. He has not spoken inside that scope.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : मुझे दो बातें अर्ज करनी हैं। एक तो यह कि यह जो विनियोग विधेयक है जिस को मंत्री महोदय ने इंट्रोड्यूस किया, वह अभी तक हम को हिन्दी में नहीं मिला है। मैं इस पर ऐतराज करता हूं कि वह अंग्रेजी में सर्कुलेट हुआ है, लेकिन कांस्टिट्यूशन के मुताबिक और बाद में जो ऐक्ट बना है उस के मुताबिक हिन्दी में विधेयक मिलना चाहिये था। वह नहीं मिला है।

दूसरा ऐतराज यह है कि ऐप्रोप्रिएशन बिल में मांग नं० 109 भी है। इस मांग नं० 109 को ले कर इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने रिट दाखिल की है। यानी वह सबजुडिस है, इसलिये इस पर कोई वोटिंग नहीं होनी चाहिये क्योंकि ऐप्रोप्रिएशन बिल पर निर्णय कटेम्ट ग्राफ कोर्ट होगी।

Mr. Speaker: Now, the question is:

"That the Bill be taken into consideration".

श्री किशन पटनायक : क्या मेरे ऐतराज का कोई जवाब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐतराज का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई इत्तला नहीं है।

श्री किशन पटनायक : फिर क्या मुझे यह हक नहीं है कि हिन्दी में विनियोग विधेयक मिले।

अध्यक्ष महोदय : अगर हिन्दी में नहीं मिला तो इस का मतलब यह नहीं हो जाता यह चीज नाजायज हो गई और कार्रवाई बिल्कुल गलत हो गई। अगर आप को हिन्दी में नहीं मिल सका तो यह गलती हो गई। मैं इसे देखूंगा।

श्री किशन पटनायक : सिर्फ मुझे नहीं, किसी को नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आगे हमेशा मिलेगा।

श्री किशन पटनायक : अगर अंग्रेजी में न मिला होता तो इस सदन में बवंडर हो जाता।

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1965-66, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

"That Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri T. T. Krishnamachari: I move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The Bill is passed. The House stands adjourned to meet again on Monday at 11 a.m.

17.18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 3, 1965/Vaisakha 13, 1887 (Saka).

GMGIPND—LSII—552 (Ai) LS—4-6-65—970.